रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3958] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 9, 2019/ अग्रहायण 18, 1941
No. 3958] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 9, 2019/AGRAHAYANA 18, 1941

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

का.आ.4403(अ).—आधार का उपयोग सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में, सरकार की परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और सुचारू रूप से उनकी हकदारियां सीधे प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है और आधार किसी भी व्यक्ति की पहचान साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को दूर करता है।

और, भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) पात्र विद्यार्थियों को उनके पूर्व स्नातक या एकीकृत पाठ्यक्रमों या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए केवल एक बार शिक्षा ऋण पर ब्याज सहायिकी देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सेक्टर की ब्याज सहायिकी स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है। यह स्कीम अन्य अनूसूचित बैंकों और वित्त तथा विकास निगमों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से नोडल बैंक (वर्तमान में केनरा बैंक) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

और, इस स्कीम के अधीन वर्तमान स्कीम मार्गदर्शक-सिद्धांत में यह परिभाषित पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए पात्र विद्यार्थियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) द्वारा लिए गए शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि (अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि धन एक वर्ष) के लिए पूर्ण ब्याज सहायिकी (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) दी जाती है।

और, पूर्वोक्ति स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अर्तविष्ट है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी फायदाग्राही से उसके पास आधार संख्या होने या आधार अधिप्रमाण कराने का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक कोई फायदाग्राही को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2020 तक आधार नामांकन हेतु, आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने लिए हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन हेतु आधार नामांकन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) से सम्पर्क कर सकेगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016, की धारा 12 के अनुसार, मंत्रालय से ऐसे फायदाग्राहियों को जिन्होंने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करने की अपेक्षा होगी और ऐसे मामले जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हैं, वहां मंत्रालय मौजूदा यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार या स्वयं को यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनाते हुए, के सहयोग से अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार प्रदान नहीं किया जाता, ऐसे व्यक्तियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन स्कीम के अधीन फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करवाया है, उसका आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन हेतु उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रतिलिपि, जैसा नीचे दिए गए पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या

(ii) मतदाता पहचान पत्र; या

(iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iv) पासपोर्ट; या

(v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस

(vi) राशन कार्ड; या

(vii) ऐसे व्यक्तियों को राजपत्रित अधिकारी या तहसील द्वारा आधिकारिक पत्र पर जारी फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र ; या

(viii) मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम इस प्रयोजनार्थ विशेषरूप से अभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध्य फायदे प्रदान करने की दृष्टि से, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा अर्थात्:

(1) फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के लिए जागरूक बनाने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और उन्हें यदि वे पहले से नामांकित नहीं है, 31 मार्च, 2020 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध समीप के आधार नामांकन केंद्र पर स्वयं को नामांकित कराने हेतु परामर्श दी जा सकेगी।

(2) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों समीप के क्षेत्र जैसे ब्लॉक, या तालुका या तहसील में रजिस्ट्रेशन केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण आधार हेतु रजिस्ट्रेशन करने में समर्थ नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से उपयुक्त स्थल पर आधार नामांकन सुविधा प्रदान करेगा और फायदाग्राही संबंधित कार्मिक विशेष रूप से मंत्रालय द्वारा अपने कार्यान्वयन अभिकरणों या इस उद्देश्य से प्रदत्त वेब पार्टल के माध्यम से पदस्त संबंधित अधिकारियों के सम्मुख पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम उपबंध में निर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर और अन्य ब्यौरा प्रदान कर आधार रजिस्ट्रेशन हेतु अपना अनुरोध रजिस्टर करा सकते हैं।

(3) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों ने आधार हेतु नामांकन कराया है तथापि किसी कारण से आधार नम्बर प्रदान करने में समर्थ नहीं है, जो भी कारण हो, मंत्रालय कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से यूआईडीएआई नामांकन और अद्यतन

क्लाइंट के माध्यम से उपयुक्त स्थल पर आधार नामांकन सुविधा प्रदत्त कर "सर्च माई आधार" सुविधा प्रदान करेगा और फायदाग्राहि से उनके आधार सर्च के लिए बनाए गए उक्त अधिनियम और विनियम के उपबंधों की शर्त पर जिसमें आधार नम्बर की शेयरिंग, प्रचार या प्रकाशन पर रोक हो, ऑपरेटर को अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर, फिंगर प्रिंट और अन्य ब्यौरा प्रदान कर सहायक मोड में अपने आधार की सर्च करने का अनुरोध किया जा सकेगा।

3. ऐसे सभी मामलों में जहां फायदाग्राहियों की खराब बायोमेट्रिक या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणन असफल हो जाता है, निम्नलिखित हैंडलिंग व्यवस्था को अपनाया जाएगा, अर्थात्:

(क) खराब फिंगर प्रिंट की दशा में प्रमाणन हेतु आइरिस स्कैन सुविधा को अपनाया जाएगा जिससे मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सरल तरीके से फायदा प्रदान करने के लिए फिंगर प्रिंट स्केनर सहित आइरिस स्केनर हेतु व्यवस्था करेगा।

(ख) फायदाग्राहियों के फिंगरप्रिंट या आइरिस अधिप्रमाणन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने के संबंध में, चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाएगा और मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, जो भी ऐसे फायदाग्राहियों के लिए व्यवहार्य हो, जहाँ प्रमाणीकरण अन्य प्रकार से विफल होता है, चेहरा प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा।

(ग) यदि फिंगरप्रिंट या आइरिस या चेहरा प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन असफल रहता है, तो जहाँ कही आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या सीमित समय विधिमान्यता के साथ टाइम-बेस्ड यथास्थिति पासवर्ड (टीओटीपी), के द्वारा व्यवहार्य और अनुज्ञेय हो, अधिप्रमाणन को अधिमानता दी जाएगी।

(घ) (i) अन्य सभी मामलों में जहाँ बायोमैट्रिक या ओटीपी या टीओटीपी अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां सेवा या फायदे पदों के मूल आधार पर जिए जा सकेंगे जिसकी अधिप्रमाणिकता मुद्रित क्यूआर कोड के माध्यम से की जा सकेगी।

(ii) उपखंड (i) के प्रयोजनार्थ, मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ई-आधार वाले आधार पत्र पर मुद्रित क्यूआर कोड पढ़ने के लिए सेवा प्रदान करने के स्थान पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध करवाएगा जो ऑफलाइन रीति में आधार कार्ड के अधिप्रमाणित का सत्यापन अनुज्ञान करेगा।

(iii) क्यूआर कोड, यूआईडीएआई द्वारा विकसित विशेष सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर के माध्यम से पढ़ा जाएगा क्योंकि यह आधार धारकों के डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ब्यौरे उपलब्ध कराता है और ऐसे सभी मामलों में सेवा का फायदा इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए हैंडलिंग रजिस्टर के सिवाय, विनिमय की सम्यक रूप से रिकॉर्डिंग करके प्रदान किया जा सकेगा, जिसकी मंत्रालय द्वारा उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से आवधिक तौर पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जानी होती है और इन रजिस्टरों का रखरखाव और आवधिक निरीक्षण, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के अनिवार्य घटक होंगे।

4. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में, के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[एफ.सं.17-17/2018-यू.5]

मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

S.O. 4403(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies, simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Human Resource Development (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Central Sector Interest Subsidy Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) with an objective of disbursing interest subsidy on the education loan to the eligible students, only once either for Undergraduate or Integrated courses or Postgraduate courses. Scheme is implemented by the Nodal Bank (presently Canara Bank) through various other scheduled Banks and Finance and Development Corporations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, under the Scheme full interest subsidy (hereinafter referred to as the benefits) is given for the moratorium period (i.e., course period plus one year) on the education loan taken by the eligible students for pursuing courses as defined in the extant Scheme guidelines (hereinafter referred to as the beneficiaries);

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A beneficiary eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by the 31st March, 2020, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or

(ii) Voter ID Card; or

(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iv) Passport; or

(v) Driving licence issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vi) Ration Card; or

(vii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(viii) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry through its Implementing Agencies for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st March, 2020, in case they are not already enrolled.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may register their requests for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details as specified in the first provision to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the Ministry through its Implementing Agencies or through the web portal provided for that purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the Ministry through Implementing Agencies shall provide *"Search My Aadhaar"* facility through UIDAI's Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their name, address, mobile number, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary's Aadhaar, subject to the provision of the said Act and regulations made thereunder with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan facility shall be adopted for authentication, thereby the Ministry through its Implementing Agencies shall make provisions for IRIS scanners along with fingerprint scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in fingerprints or IRIS authentication of the beneficiaries, face authentication shall be used and the Ministry through its Implementing Agencies shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those beneficiaries whose other modes of authentication fail;

(c) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be preferred;

(d) (i) in all other cases where biometric or OTP or TOTP authentication is not possible, service or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter;

(ii) for the purpose of sub-clause (i), the Ministry through its Implementing Agencies shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar Letter on E-Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar Card in an offline manner;

(iii) The QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar holder and in all such cases the benefits or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the Ministry through its Implementing Agencies and maintenance of these registers and periodic inspection shall be an essential component of exception handling mechanism.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[F.No.17-17/2018-U.5]

MADHU RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.12 22:42:02 +05'30'